



पंचदश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-1

मंगलवार, दिनांक- 30 नवम्बर, 2010 ई० ।

अध्यक्ष, श्री सदानन्द सिंह की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वां० से 1.00 बजे अप० तक ।

[1] महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेशों का पढ़ा जाना :-

सभा सचिव ने महामहिम राज्यपाल से प्राप्त निर्मांकित संदेशों को पढ़कर सुनाया :-

(I) "भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं देवानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल, बिहार विधान सभा के सदस्य श्री सदानन्द सिंह को दिनांक 30.11.2010 से 02.12.2010 तक के लिए, जबतक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता हूँ ।

पटना

ह०/- देवानन्द कुँवर

दिनांक- 27 नवम्बर, 2010

राज्यपाल, बिहार ।"

(II) "भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं देवानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री सदानन्द सिंह को, वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिनके समक्ष, बिहार विधान सभा के प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्यों को छोड़कर जिन्होंने मेरे समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान कर लिया हो, विधान सभा में अपनी जगह लेने के पहले दिनांक 30.11.2010 से 02.12.2010 तक विहित शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे ।

पटना

ह०/- देवानन्द कुँवर

दिनांक- 27 नवम्बर, 2010

राज्यपाल, बिहार ।"

- (III) “भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, देवानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा :-
- (क) बिहार विधान सभा के सदस्य श्री सदानन्द सिंह को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिनके समक्ष विधान सभा के सदस्य दिनांक 30.11.2010 से 02.12.2010 तक शपथ या प्रतिज्ञान अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक करेंगे।
- (ख) अध्यक्ष को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिनके समक्ष विधान सभा के ऐसे सदस्य, जिन्होंने शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया हो, अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे।

पटना

ह०/- देवानन्द कुँवर

दिनांक- 27 नवम्बर, 2010

राज्यपाल, बिहार ।”

[2] अस्थायी अध्यक्ष का स्वागत भाषण :-

यथा संलग्न ।

[3] सभा सदस्यों द्वारा शपथ / प्रतिज्ञान :-

पंचदश विधान सभा के कुल 92 (बेरानवे) माननीय सदस्यों ने बारी-बारी से शपथ/प्रतिज्ञान किया ।
(भोजनावकाश)

समय 2.00 बजे अप० से 4.10 बजे अप० तक ।

[4] सभा सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान :-

क्रमांक [3] के क्रम में भोजनावकाश के बाद कुल 118 (एक सौ अठारह) माननीय सदस्यों ने बारी-बारी से शपथ / प्रतिज्ञान किया ।

क्षेत्र सं०-194 के माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह के शपथ के बाद आसन द्वारा सदन की सहमति से सदन की अवधि आधा घंटा के लिए विस्तारित की गई ।

आज दिनांक 30.11.2010 को कुल 210 माननीय सदस्यों ने शपथ / प्रतिज्ञान किया ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार दिनांक 01.12.2010 के 11.00 बजे पूर्वां० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

दिनांक-30.11.2010

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

अस्थायी अध्यक्ष का स्वागत भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्रारम्भ के अवसर पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। संसदीय जीवन में उच्चतम परम्पराएँ बनाये रखने के लिए सदस्यों से आम जनता की अपेक्षा रहती है। सदस्यों का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे विधान सभा तथा उसके सभी सदस्यों की गरिमा बढ़े। सरकार अथवा विपक्ष दोनों में किसी को भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए, जिससे कि सभा में हंगामे वाले दृश्य उपस्थित हो। वाक् स्वातंत्र्य के बिना ज्ञानपूर्ण वाद-विवाद नहीं हो सकता, किन्तु व्यवस्था के बिना तो वाद-विवाद हो ही नहीं सकता और इससे एक विमर्शी निकाय का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे आशा है कि सभा की प्रतिष्ठा के विरुद्ध अथवा किसी भी प्रकार से उस स्तर के विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए।

राज्य की जनता ने जदयू एवं भाजपा गठबंधन को अपार बहुमत दिया है, जिससे वर्तमान सरकार से लोगों की अपेक्षाएँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार कार्य करेगी, ऐसी मेरी कामना है। वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस सुअवसर पर बधाई देता हूँ।

आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने जो उत्तरदायित्व आपको सौंपा है उसका वहन करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम होंगे, यह मेरा विश्वास है। आप सभी को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली तथा अन्य विषयों के संबंध में नियमावली फोल्डर में प्रदान की जा रही है, जिसके अध्ययन से आप संसदीय दायित्वों का कारगर ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

